

क्र० 89 /आर-1100949/2023/ब-1/चार

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2024

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/लोक निर्माण/जल संसाधन/
ऊर्जा/नर्मदा घाटी विकास/स्कूल शिक्षा/नगरीय विकास एवं आवास/
पंचायत एवं ग्रामीण विकास/जनजातीय कार्य/वन/चिकित्सा शिक्षा/
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन/
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार/उच्च शिक्षा/गृह/
खेल एवं युवा कल्याण/संस्कृति/राजस्व/अनुसूचित जाति कल्याण/
महिला एवं बाल विकास/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम/
पर्यटन/पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण/
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट आवंटन, व्यय की कार्ययोजना के संबंध में दिशा-निर्देश।

संदर्भ :- इस विभाग का परिपत्र क्रमांक 521/आर-1100949/2023/ब-1/चार, दिनांक 31 मार्च 2023


..000..

वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु पूंजीगत कार्यों के लिए संदर्भित पत्र-01 की कंडिका (II) व्यय की त्रैमासिक कार्य योजना के अंतर्गत बिन्दु क्र०-4 की उपकंडिका 4.2 में विशेष व्यय सीमा परिशिष्ट-2 अनुसार निर्धारित की गई है।

विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि इस वित्तीय वर्ष के माह जनवरी 2024 से मार्च 2024 के लिए परिशिष्ट-2 'टी' अनुसार 26 विभागों की पुनरीक्षित विशेष मासिक व्यय सीमा (पूंजीगत) निर्धारित की जाती है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(बर्ककी कार्तिकेयन)
संचालक बजट


म0प्र0 शासन, वित्त विभाग,

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2024

क्रमांक : 90 /आर-1100949/2023/ब-1/चार

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) - प्रथम/द्वितीय, ग्वालियर/भोपाल।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव/संचालक बजट, म.प्र. शासन, वित्त विभाग।
3. उप सचिव/अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी/परामर्शी, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, समस्त बजट शाखाएँ।
4. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, पर्यावास भवन, भोपाल।
5. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को वित्त विभाग की वेबसाईट www.finance.mp.gov.in पर अपलोड करने एवं संबंधित को ई-मेल करने हेतु।


अवर सचिव

म0प्र0 शासन, वित्त विभाग

निर्धारित विशेष व्यय सीमा (पूँजीगत)

राशि रुपये करोड़ में

क्रमांक	विभाग/मांग संख्या का नाम	मांग संख्या	मासिक विशेष व्यय सीमा			मांग संख्या का कुल योग	रिमार्क
			जनवरी 2024	फरवरी 2024	मार्च 2024		
1	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	020	753.00	119.00	119.00	991.00	
2	लोक निर्माण	024	685.00	685.00	685.00	2,055.00	
3	जल संसाधन	023	418.00	418.00	419.00	1,255.00	
4	ऊर्जा	012	78.00	78.00	79.00	235.00	
5	नर्मदा घाटी विकास	048	269.00	269.00	269.00	807.00	
6	स्कूल शिक्षा	027	100.00	100.00	100.00	300.00	पी.आई.यू. के भुगतान हेतु राशि 300.00 करोड़
7	नगरीय विकास एवं आवास	022	-	-	-	-	
8	ग्रामीण विकास	030	197.00	197.00	197.00	591.00	
9	जनजातीय कार्य	033	27.00	27.00	26.00	80.00	पी.आई.यू. के भुगतान हेतु राशि 80.00 करोड़
10	वन	010	146.00	146.00	147.00	439.00	
11	चिकित्सा शिक्षा	052	36.00	36.00	37.00	109.00	पी.आई.यू. के भुगतान हेतु राशि 109.00 करोड़
12	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	019	172.00	69.00	68.00	309.00	पी.आई.यू. के भुगतान हेतु राशि 222.00 करोड़
13	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	011	92.00	92.00	92.00	276.00	
14	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	042	53.00	52.00	52.00	157.00	पी.आई.यू. के भुगतान हेतु राशि 44.00 करोड़
15	उच्च शिक्षा	044	69.00	69.00	68.00	206.00	पी.आई.यू. के भुगतान हेतु 30.00 करोड़
16	गृह	003	68.00	68.00	67.00	203.00	
17	खेल एवं युवक कल्याण	043	54.00	54.00	54.00	162.00	
18	संस्कृति	026	38.00	37.00	37.00	112.00	
19	राजस्व	008	29.00	29.00	28.00	86.00	पी.आई.यू. के भुगतान हेतु 60.00 करोड़
20	अनुसूचित जाति कल्याण	049	26.00	26.00	25.00	77.00	पी.आई.यू. के भुगतान हेतु राशि 3.00 करोड़
21	महिला एवं बाल विकास	055	17.00	17.00	16.00	50.00	
22	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	046	17.00	16.00	16.00	49.00	
23	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	035	15.00	14.00	14.00	43.00	
24	पर्यटन	037	-	-	-	-	
25	पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक	054	-	-	-	-	
26	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	039	11.00	10.00	10.00	31.00	
	माहवार योग		3,370.00	2,628.00	2,625.00	8,623.00	



19-1-24

जयपुर अधिवक्ता

मध्य प्रदेश शासन,

वित्त विभाग (बजट-1)